गहलोत सरकार में पुलिस मजबूर थी, आज मजबूत है : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की, इस दौरान साथ में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा भी मौजूद रहे। राठौड़ ने कहा कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब उनकी अपने उपमुख्यमंत्री से लड़ाई चलती रहती थी। आपसी लड़ाई में विधायक होटलों में रहे, उन्हें तो सरकार चलाने का समय ही कब मिला। गहलोत सरकार में पुलिस मजबूर थी, आज मजबूत है। माफियाओं को पनपाने का काम गहलोत सरकार ने किया। भाजपा सरकार ने तो माफियाओं पर लगाम लगाकर अपराध को रोकने का काम किया है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा बुधवार को प्रेस से रूबरू हुए।

- ‘कांग्रेस पार्टी है लोकतंत्र विरोधी, विधायक वही जो सदन एवं आसन का सम्मान करें’
- ‘नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिख रहे असहाय’

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में हर दिन नया विवाद खड़ा करना चाहती है। सदन में बजट प्रस्तुत होने के बाद कांग्रेस ने खासकर इनके प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो वातावरण बनाया है, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रकरण में राजनीति कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। वे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी बोलने का मौका नहीं देते हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली असहाय दिख रहे हैं। सदन लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि डोटासरा विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर जो आचरण किया उससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। डोटासरा ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें दोहराना भी उचित नहीं है।

मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत सदन में आते ही नहीं हैं, परंतु अब विधानसभा गतिरोध मामले में अचानक आकर सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि गोविंद डोटासरा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी बात नहीं मानी, जबकि गहलोत को अपने चहेते व्यक्ति डोटासरा को अच्छे से समझाना चाहिए था।

राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर के मकान में ज्यादा दूरी नहीं है। वो ख़ुद जाकर भी स्पीकर से माफी मांग सकते थे। गहलोत जी ने भी सदन का सम्मान नहीं किया। डोटासरा भी पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस में वादा करके आए परंतु सदन में बदल गए और खेद प्रकट नहीं करके वादा खिलाफी की। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और सदन को चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन और आसन का सम्मान करते हुए नियमों का पालन करना एक व्यवस्था होती है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष को कपोल-कल्पित ख़बर पर कष्ट पहुंचा, तो व्यक्तिगत खेद प्रकट करूंगा : डोटासरा

- भगवान शंकर ने संसार की भलाई के लिए हलाहल विष का पान किया, हमें भी हठधर्मिता को भुलाकर सदन को चलाने के लिए प्रयास करना होगा : जूली

जयपुर। विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के भीतर एवं सदन नहीं चलने के दौरान हुए संपूर्ण घटनाक्रम पर सदन में मेरे द्वारा प्रकट किए गए खेद के एक-एक शब्द की गवाह राजस्थान की जनता है। लेकिन उसके बावजूद कल अध्यक्ष को एक समाचार पत्र में छपी कपोल-कल्पित ख़बर पर भावुक देखकर मन को कष्ट पहुंचा है। देवनानीजी अच्छे एवं नेक इंसान हैं लेकिन बिना तथ्यों को जाने एवं बिना दूसरे पक्ष की सुने अवास्तविक हवाई ख़बर पर यूं प्रतिक्रिया देंगे यह अपेक्षा से परे है।

उन्होंने कहा कि फिर भी उन्हें कष्ट पहुंचा है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर खेद प्रकट करूंगा लेकिन सवाल फिर भी मंत्री की माफी का बाकी रहेगा, जो समझौते में तय हुआ था और जिसका जिक्र स्वयं अध्यक्ष ने कल की कार्यवाही के दौरान किया था। सदन में उत्पन्न गतिरोध का कारण मंत्री अविनाश गहलोत की अशोभनीय टिप्पणी है, जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के लिए की है। देश के लिए बलिदान देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 5 दिन बीतने के बाद भी न तो मंत्री की माफी हुई है और न ही अशोभनीय टिप्पणी को स्पंज किया गया है जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण और देश के महानायकों को अपमान है। हम चाहते हैं कि गतिरोध टूटे, पक्ष-विपक्ष मिलकर सदन चलाएं और प्रदेश की जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गतिरोध को लेकर कहा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जो हमें त्याग और कर्तव्य की सीख देता है। जिस तरह भगवान शंकर ने संसार की भलाई के लिए हलाहल विष का पान किया, उसी तरह हमें भी जनहित के लिए व्यक्तिगत हित, मान, अपमान और हठधर्मिता को भुला कर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास करना होगा। ऐसे में अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ प्रतिपक्ष की ओर से मैं आपके साथ हूँ। हमें उदारमना बनकर प्रदेशहित में सारे घटनाक्रम को भुला नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को शंकर की भूमिका निभानी होगी। हमें भी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हित में अपमान रूपी विष पीना होगा और लंबे समय से चल रहे गतिरोध को तोड़ना होगा। आइए, इस महाशिवरात्रि पर हम सब लोकतंत्र की मजबूती के लिए संकल्प लें और सदन को जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का मंच बनाएं।

भारती वर्मा को ओबीसी का महासचिव नियुक्त

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव के निर्देशानुसार प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव ने भारती वर्मा कुमावत को कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया है। वर्मा की नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला से एफ.एस.एल. रिपोर्ट साठ दिन के भीतर ली जाए : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट आने में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से एफएसएल रिपोर्ट अधिकतम साठ दिन में प्राप्त की जाए। इसके लिए डीजीपी एफएसएल निदेशक से समन्वय करें। अदालत ने डीजीपी को 18 मार्च को यह बताने को कहा है कि एफएसएल रिपोर्ट जल्दी प्राप्त करने के लिए उनकी ओर से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं अदालत ने एनडीपीएस प्रकरण से जुडे मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश धीरज सिंह परमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से अधिक बरामद होता है तो मामले की जांच 180 दिन में और इससे कम मात्रा में मिलने पर उस स्थिति में साठ दिन में मामले की जांच पूरी होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जब्ती अधिकारी की राय के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। याचिकाकर्ता से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को देखते हुए आरोप पत्र दाखिल किए बिना उसे अधिकतम साठ दिन के लिए ही न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा सकता था। मामले में एफएसएल रिपोर्ट 130 दिन की देरी से आई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आरएस गुर्जर ने अदालत को बताया कि मानसरोवर थाना पुलिस ने करीब 24 ग्राम एमडीए रखने के आरोप में याचिकाकर्ता को गत वर्ष 18 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं 11 सितंबर, 2024 को एफएसएल रिपोर्ट में आया कि बरामद पदार्थ एमडीए ना होकर मेथामफेटामाइन था। याचिका में कहा गया कि एमडीए की वाणिज्यिक मात्रा दस ग्राम और मेथामफेटामाइन की 50 ग्राम है। ऐसे में मामले की जांच साठ दिन में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने 12 सितंबर, 2024 को आरोप पत्र पेश किया। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा 27 फरवरी एवं 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) के लिये जयपुर में परीक्षार्थियों का दूसरे शहरों से आना शुरू हो गया है। परीक्षार्थियों की अधिकता के कारण जयपुर रेलवे स्टेशन पर उन्हें खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस परीक्षा में जयपुर शहर के 233 परीक्षा केन्द्रों पर तीन पारी में 2 लाख 70 हजार 18 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। फोटो : दिनेश भारद्वाज